प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एनआरएचएम / एसपीएमयू / मा0स्वा0 / सब–से0 / 3ए / 2012–13 / 3213-75 दिनांक 21.02.2013

विषय– प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराए की धनराशि जनपदों को अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–जे0एस0वाई0 / कार्यकारी समि0 / 2013 / 8910 दिनांक–04.02.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के 75 जनपदों में वर्ष 2012–13 में कुल 5057 उपकेन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं (जनपदवार सूची संलग्न)। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रू0–250.00 प्रतिमाह की दर से प्रदेश के 70 मूल जनपदों में किराये के भवनों में संचालित 4768 उपकेन्द्रों के लिए 12 माह के किराये के भुगतान हेतु एवं 5 नवसृजित जनपदों (अमेठी, कासगंज, हापुड़, शामली, सम्भल) में किराये के भवनों में संचालित के 289 उपकेन्द्रों के लिए 6 माह के किराये के भुगतान हेतु संलग्न फांट के अनुसार कुल धनराशि रू0–147.375 लाख (एक करोड़ सैंतालिस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों के मिशन फ्लैक्सीपूल के खाते में एफ0एम0आर0 कोड बी.4.3 में अवमुक्त की जा रही है।

1. 5 नवसृजित जनपदों (अमेठी, कासगंज, हापुड़, शामली, सम्भल) **के शेष 06 माह के उपकेन्द्रों के किराये की धनराशि 31 मार्च 2013 के पश्चात जनपदों में मिशन फ्लैक्सीपूल में अवशेष अनस्पेण्ट / अनकमिटेड धनराशि से आहरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यह जनपद 01.04.2013 को अपने अवशेष किराये के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ''द्वारा उचित माध्यम'' एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध करा दें।**

2. कृपया सुनिश्चित कर लें कि जो भवन उपकेन्द्र हेतु किराए पर लिए गए हैं –
   - उनकी भौतिक स्थिति अच्छी हो एवं न्यूनतम दो कमरे अवश्य हों।
   - किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 (संविदा / नियमित) की तैनाती अवश्य की जाय।
   - उन उपकेन्द्रों पर गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जाँच (ए0एन0सी0चेकअप) नियमित रूप से किया जाये।
   - उन उपकेन्द्रों पर मातृ एवं शिशु कल्याण सत्रों का नियमित रूप से संचालन किया जाये।
   - प्रत्येक बृहस्पतिवार को इन उपकेन्द्रों पर क्लीनिक संचालित की जाये एवं
   - जिन उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 निवास नहीं करती हों उन उपकेन्द्रों को पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय आशा द्वारा नियमित रूप से खोला जाये।

3. **जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट / वित्तीय व्यवस्था**
   - मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत धनराशि से उपकेन्द्रों के किराये हेतु स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित इकाईयों को आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ हस्तान्तरित कर दें।

- सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाये।
- किसी भी स्थिति में कोई भुगतान नगद नहीं किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कॉन्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी के परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

19/2/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एनआरएचएम/एसपीएमयू/मा0स्वा0/सब–से0/3ए/2012–13/3213-75-9 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
9. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

19/2/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्तमान में 75 जनपदों में किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्र	किराया रू0– 250. 00 प्रति उपकेन्द्र प्रतिमाह की दर से	
1	2	3	4	5
1	आगरा	143	429000	
2	मैनपुरी	53	159000	
3	मथुरा	86	258000	
4	फिरोजाबाद	71	213000	
5	अलीगढ़	123	369000	
6	एटा	45	135000	
7	काशीरामनगर	85	127500	6 माह हेतु
8	हाथरस	16	48000	
9	प्रतापगढ़	42	126000	
10	फतेहपुर	56	168000	
11	इलाहाबाद	287	861000	
12	कौशाम्बी	22	66000	
13	शाहजहापुर	26	78000	
14	बरेली	94	282000	
15	बदायू	55	165000	
16	पीलीभीत	48	144000	
17	जालौन	45	135000	
18	झांसी	10	30000	
19	ललितपुर	17	51000	
20	हमीरपुर	5	15000	
21	महोबा	0	0	
22	बांदा	24	72000	
23	चित्रकूट	15	45000	
24	सुल्तानपुर	28	84000	
25	सीएसएम नगर	67	100500	6 माह हेतु
26	अम्बेदकर नगर	73	219000	
27	फैजाबाद	69	207000	
28	बाराबंकी	97	291000	
29	गोण्डा	86	258000	
30	बलरामपुर	40	120000	
31	बहराइच	10	30000	
32	श्रावस्ती	22	66000	
33	बलिया	133	399000	
34	आजमगढ़	115	345000	
35	मऊ	10	30000	
36	गोरखपुर	223	669000	
37	देवरिया	40	120000	
38	महाराजगंज	100	300000	
39	कुशीनगर	49	147000	
40	सिद्धार्थ नगर	51	153000	
41	बस्ती	8	24000	
42	संत कबीर नगर	27	81000	
43	रमाबाई नगर	19	57000	
44	कानपुर नगर	145	435000	
45	इटावा	21	63000	
46	औरैया	15	45000	
47	फर्रुखाबाद	23	69000	
48	कन्नौज	18	54000	
49	रायबरेली	46	138000	

50	लखनऊ	106	318000	
51	सीतापुर	166	498000	
52	उन्नाव	123	369000	
53	हरदोइ	182	546000	
54	खीरी	172	516000	
55	गाजियाबाद	74	222000	
56	गौतमबुद्धनगर	60	180000	
57	मेरठ	74	222000	
58	बागपत	31	93000	
59	पचशीलनगर	37	55500	6 माह हेतु
60	बुलद शहर	204	612000	
61	सहारनपुर	31	93000	
62	मुजफरनगर	59	177000	
63	शामली	25	37500	6 माह हेतु
64	बिजनौर	110	330000	
65	मुरादाबाद	110	330000	
66	जे0पी0नगर	44	132000	
67	भीमनगर	75	112500	6 माह हेतु
68	रामपुर	17	51000	
69	सोनभद्र	20	60000	
70	मिर्जापुर	51	153000	
71	भदोही	12	36000	
72	वाराणसी	56	168000	
73	चदौली	18	54000	
74	गाजीपुर	77	231000	
75	जौनपुर	220	660000	
कुल अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		**5057**	**14737500**	